राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक:एफ.97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2014 | जयपुर, दिनांक: 2/2/2015

परिपत्र

डिजिटाइज्ड राशनकार्ड बनवाने के सम्बन्ध में

राशनकार्ड का प्रयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुदानित दर पर दिये जाने वाले खाद्यान्न, केरोसीन एवं चीनी इत्यादि को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। विभाग द्वारा राशनकार्ड अभियान - 2012 के तहत डिजिटाइज्ड राशनकार्ड (DRC) बनवाए गए है। राशन कार्ड अभियान 2012 में बनाये गये सभी नये डिजिटाइज्ड राशनकार्ड को एक निश्चित तिथि को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। इन्हें लागू करने की तिथी की घोषणा अलग से की जा रही है। डिजिटाइज्ड राशनकार्ड तैयार करने वाली सेवा प्रदाताओं की अनुबंध/कार्यावधी दिनांक 30-09-2014 को समाप्त हो गयी है। श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 09-12-2014 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में निम्न निर्देश दिए जाते है:-

1. संवेदकों द्वारा उपलब्ध करवाने से शेष रहे डीआरसी के संबंध में फिलहाल विभागीय स्तर से प्राधिकृत अधिकारियों के मार्फत डीआरसी मुद्रित कर वितरण करवाया जाना है इस संबंध में दिनांक 30-09-2014 तक प्राप्त हुए आवेदन जिन पर राशनकार्ड जारी नहीं हुए हो, को विभाग द्वारा राशनकार्ड जारी किये जाने पर दिनांक 31-03-2015 तक एपीएल श्रेणी हेतु शुल्क पूर्वानुसार 10/- रूपये लिया जायेगा तथा शेष अन्य सभी श्रेणी के राशनकार्ड नि:शुल्क दिए जायेंगे।
2. भामाशाह केम्प में तैयारशुदा राशनकार्ड में शुद्धीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर संशोधित राशनकार्ड जारी करने का कार्य सम्बंधित पाधिकृत अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 31.03.2015 तक नि:शुल्क किया जावेगा।
3. दिनांक 30-09-2014 तक प्राप्त हुए आवेदन पर तैयारशुदा राशनकार्ड में त्रुटि कार्यकारी एजेन्सी के स्तर पर पाये जाने पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से संशोधन किया जायेगा। ऐसे सभी राशन कार्ड के संशोधन के लिये अलग से कोई राशि देय नही होगी। त्रुटि, आवेदक द्वारा गलत/अपूर्ण सूचना भरने के कारण पायी जाने पर भी संशोधित राशन कार्ड तैयार करने का शुल्क एपीएल परिवारों को 10/- रूपये मात्र एवं शेष को नि:शुल्क वितरण होगा।
4. 1 अप्रेल 2015 अथवा भावी निर्धारित तिथि के पश्चात् नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोडने, घटाने, परिवर्धन और परिवर्तन करने का कार्य राजस्थान के समस्त ई-मित्र/सीएससी कियोस्क के माध्यम से सशुल्क किया जायेगा।
5. ई-मित्र/सीएससी कियोस्क के माध्यम से राशनकार्ड आवेदन लिए जाने व तैयारशुदा राशनकार्ड की सुपर्दगी हेतु लिए जाने वाले शुल्क की घोषणा सक्षम स्तर पर निर्णय लिए जाने के उपरांत की जावेगी।
6. विभागीय स्तर पर राशन कार्ड वितरण के लिए पूर्व मुद्रित स्टेशनरी विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

7. जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी के पास एक 'मशीन विद मैन' विभागीय उपलब्ध हो। विभाग द्वारा इस हेतु पूर्व में जारी स्वीकृति के तहत सेवा में लिए गये 'मशीन विद मेन' को तहसीलों से हटाकर प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ नियोजित किया जायेगा।

8. 'मशीन विद मेन' को पारिश्रमिक का भुगतान भी बजट मद 3456-00-102-01-08-39, 3456-00-789-01-03-39, 3456-00-796-01-03-39 (डीआरसी हेतु) से किया जायेगा।

9. प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर, ब्रॉडबेड इन्टरनेट कनेक्शन, कागज, रजिस्टर आदि का उपयोग किया जायेगा। उपभोग के लिए आवर्ती व्यय बजट मद 3456-00-102-01-08-39, 3456-00-789-01-03-39, 3456-00-796-01-03-39 (डीआरसी हेतु) से किया जाना अनुमत होगा।

10. 1 अप्रेल, 2015 अथवा भावी निर्धारित तिथि से नवीन/डूप्लीकेट राशन कार्ड तथा राशन कार्ड में संशोधन करने का कार्य ई-मित्र / सीएससी कियोस्क के मार्फत किए जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया होगी:-

राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया व जानकारी

पात्रता

राज्य का प्रत्येक निवासी परन्तु भारतीय नागरिक होना आवश्यक है! उदाहरणार्थ पाकिस्तानी, बंगलादेशी तथा नेपाली या अन्य देशों के नागरिको को राशनकार्ड जारी नहीं किये जाते है|

आवेदन पत्र कहां उपलब्ध होंगे?

प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में (कार्यालय कार्य समय पर) एवं ई-मित्र/सीएससी कियोस्क पर। साथ ही खाद्य विभाग की वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी का विवरण जहां आवेदन किया जाना है

क्र. सं.	क्षेत्र का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
1	जिला मुख्यालय का नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका	जिला रसद अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी
2	जिला मुख्यालय के अलावा नगरपालिका	अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त, नगरपालिका
3	ग्रामीण क्षेत्र	विकास अधिकारी (सबन्धित पंचायत समिति)

श्रेणीवार राशन कार्ड का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्ड का विवरण	जारी करने के विभागीय शुल्क	ई-मित्र/सीएससी का सेवा शुल्क
1	एपीएल योजना (गरीबी रेखा से उपर)	कवर पेज सफ़ेद रंग का जिसका बोर्डर एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र पीकोक ब्लू रंग का|	10/- रूपये	
2	बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे)	कवर पेज सफ़ेद रंग का जिसका बोर्डर एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र गुलाबी रंग का|	नि:शुल्क	
3	अन्त्योदय अन्न योजना (गरीबी रेखा से नीचे में भी निर्धनतम)	कवर पेज सफ़ेद रंग का जिसका बोर्डर एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र पीले रंग का|		
4	स्टेट बीपीएल	कवर पेज सफ़ेद रंग का जिसका बोर्डर एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र हरे रंग का|		
5	अन्नपूर्णा योजना अधिकारिता कार्ड	बाहरी आवरण पूरा गुलाबी रंग का एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र सफ़ेद रंग का|		

ई-मित्र/सीएससी कियोस्क पर आवेदन की प्रक्रिया

1. ई-मित्र/सीएससी कियोस्क पर आवेदन करने एवं आवेदक को तैयार राशनकार्ड सुपर्दगी कराने की समस्त प्रक्रिया सात दिवस में पूर्ण की जावेगी। इस कार्य को सम्पादित करने हेतु कियोस्को का कार्यक्षेत्र शहरी क्षेत्र में उसी नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका के ई-मित्र/सीएससी कियोस्क का एवं ग्रामीण क्षेत्र में उसी पंचायत समिति स्तर के कियोस्क का रहेगा।
2. कियोस्कधारी सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी से निर्धारित आवेदन फार्म एवं अन्य स्टेशनरी प्राप्त कर सकेंगे।
3. भरा हुआ आवेदन फार्म परिवार के मुखिया द्वारा स्वयं कियोस्कधारी को दिया जाने पर ही आवेदन लिया जावेगा। परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा अपूर्ण आवेदन फार्म प्रस्तुत करने पर कियोस्कधारी द्वारा आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
4. कियोस्कधारी के द्वारा यह जॉच कर आवेदन फार्म प्राप्त किया जावेगा कि आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ है तथा समर्थित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवेदन फार्म सम्पूर्ण रूप से भरा होने तथा आवेदक के हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी अंकित होने एवं वांछित दस्तावेज आवेदक के द्वारा स्वप्रमाणित होने की संतुष्टि होने के उपरान्त ही कियोस्कधारी ऑनलाईन प्रविष्टि करेगा।
5. आवेदक ऑनलाईन प्रविष्टियों को कम्प्यूटर स्क्रीन पर देखकर एवं सत्यापित कर, कियोस्कधारी के आवेदन को ऑनलाईन सबमिट करने की पुष्टि करेगा। तदोपरान्त कियोस्कधारी आवेदन को ऑनलाईन सबमिट कर आवेदन फार्म प्राप्ति तथा निर्धारित ई-मित्र/सीएससी का सेवा शुल्क प्राप्ति की कम्प्यूटरीकृत रसीद जारी करेगा। ई-मित्र/सीएससी पर ऑनलाईन प्रविष्टियों का सेवा शुल्क फार्म प्राप्ति के समय ही लिया जावेगा यद्यपि राशनकार्ड के खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क, तैयार राशनकार्ड की सुपर्दगी पर ही लिए जा सकेंगे| कियोस्कधारी आवेदक का ई-मेल पता या मोबाईल नम्बर अथवा दोनों आवश्यक रूप से आवेदन फार्म में अंकित करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे जिससे आवेदन फार्म में कमी पाये जाने अथवा कार्य सम्पन्न होने की सूचना दी जा सके। तथापि आवेदक के पास ईमेल पता या मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं होने पर भी आवेदन फार्म लिया जा सकेगा|
6. कियोस्कधारी प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को स्केन कर तत्काल प्रभाव से अपलोड करेगा जिस पर सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समुचित निर्देश जारी किये जायेंगे। नागरिक के आवेदन फार्म पर प्राधिकृत अधिकारी यथाशीघ्र डिजिटल सिग्नेचर से राशन कार्ड के पेज संख्या 1 व 20 की पीडीएफ इमेज जारी करेंगे जो कियोस्कधारी को ऑनलाइन प्राप्त होगी| यदि प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन फार्म में कोई कमी पायी जाती है तो सम्बन्धित कियोस्कधारी को इस बाबत तत्काल ऑनलाईन सूचित कर दिया जावेगा एवं कियोस्कधारी द्वारा आवेदक से कमी की पूर्ति कराने के बाद ही आवेदन फार्म पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
7. आवेदक के तैयारशुदा राशनकार्ड की प्राप्ति हेतु आने पर कियोस्कधारी प्रिन्ट लेने से पूर्व आवेदक से वार्तालाप कर राशनकार्ड की प्रविष्टियों के सही होने की पुष्टि कराते हुये डिजिटल सिग्नेचर युक्त सम्बंधित इमेज का लेजर प्रिंटर से प्रिंट निकाल कर राशनकार्ड पुस्तिका में स्टेपल करेगा| राशन कार्ड की पूर्व मुद्रित सामग्री कियोस्कधारी को सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करनी होगी| आवेदक के द्वारा राशनकार्ड सुपुर्दगी के पश्चात भी यदि कोई त्रुटि बतायी जाती है और वह त्रुटि यदि कियोस्कधारी की गलत प्रविष्टियों के कारण है तो राशनकार्ड दुरूस्तीकरण के सम्बन्ध में आवेदक से कोई सेवा शुल्क नही लिया जावेगा।
8. कियोस्कधारी प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को स्केन करने के बाद समुचित रूप से स्टेपल कर उस पर कम्प्यूटरीकृत रसीद का क्रमांक/दिनांक अंकित करेगा तथा एक पत्रावली में नत्थी कर सुरक्षित

रखेगा। यह पत्रावली कियोस्कधारी सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

9. नागरिक को तैयार शुदा राशनकार्ड की अपेक्षित सुपुर्दगी के समय मूल आवेदन पर आवेदक के प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा तथा सुपुर्दगी के बाबत ऑनलाइन प्रविष्टी करेगा। सुपुर्दगी की ऑनलाइन प्रविष्टी के बाद ही राशनकार्ड मास्टर डेटा में परिलक्षित होगा।
10. नागरिक को आवेदन करने के बाद 30 दिवस में तैयार शुदा राशनकार्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा।
11. योजना के सफल संचालन हेतु समय समय पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश कियोस्धारी के लिए बाध्यकारी होंगे।

राशनकार्ड से सम्बन्धित किये जाने वाले कार्य व उनके साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क्र. सं.	कार्य	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	समय	शुल्क	ई-मित्र / सीएससी का सेवा शुल्क
1	नवीन राशनकार्ड जारी करना (पूर्व में भारतवर्ष में कही पर भी राशनकार्ड जारी नही होने पर)	1- एपीएल श्रेणी हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र अ-I एवं अन्य श्रेणियों (बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा) हेतु प्रपत्र अ-II (गुलाबी फार्म) 2- परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट साईज फोटो। 3- सदस्य लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभा जिलापरिषद/नगर पालिका-परिषद-निगम/ पंचायत समिति सरपंच/वार्ड पार्षद/सरपंच पटवारी ग्राम सेवक/ राज पत्रित अधिकारी व केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सेक्टर/पोस्ट/डिवीजन वार्डन नागरिक सुरक्षा सेवा से प्रमाणित आवेदन फार्म मय फोटो प्रमाणीकरण। 4- भारतीय नागरिक होने के सम्बन्ध में फोटो पहचान पत्र यथा पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड/पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति। कोई एक। 5- निवास बाबत बिजली बिल/पानी बिल/गृहकर की रसीद मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति। (कोई एक) 6- किरायेदार होने पर किरायानामा एवं मकान मालिक के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर साथ में मकान मालिक बिजली/पानी (कोई एक) के बिल की प्रति।	7 दिवस		
2	राजस्थान के एक ही शहर/पंचायत समिति में निवास पता परिवर्तन करने पर या	1- प्रपत्र "ब" आवेदन में मय मूल राशन कार्ड मय फोटो प्रस्तुत किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 3 व 7(ड), 7(ज), 7(झ), व (ञ) आवश्यक रूप से भरा जाना है। 2- निवास बाबत बिजली बिल/पानी बिल/गृहकर की	3 दिवस		

	राजस्थान के अन्य जिले में निवास करने के कारण पता परिवर्तन करने के सम्बन्ध में	रसीद मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति। (कोई एक) या किरायेदार होने पर किरायानामा एवं मकान मालिक के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर साथ में मकान मालिक बिजली/पानी (कोई एक) के बिल की प्रति।			
3	डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने के सम्बन्ध में	1- आवेदन निर्धारित प्रपत्र "ब" में मय फोटो किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 2, 7(ज), 7(झ) व 7(ञ) आवश्यक रूप से भरा जाना है। 2- यदि डुप्लीकेट राशनकार्ड कटा/फटा या विरूपित होने के कारण जारी करवाया जा रहा हो तो आवेदन पत्र के साथ कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड संलग्न करना होगा। 3- यदि डुप्लीकेट राशनकार्ड खोने की स्थिति में बनवाया जा रहा हो तो राशनकार्ड मिल जाने पर जमा कराने का/उचित मूल्य दुकानदार को राशनकार्ड खोने की सूचना देने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र एवं यथासम्भव पुराने राशनकार्ड की फोटोप्रति संलग्न की जावे।	3 दिवस		
4	जारी राशनकार्ड में नाम जोड़ना	1- प्रपत्र "ब" आवेदन मय मूल राशन कार्ड भर कर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 4 व 7(ध), 7(ज), 7(झ) व 7(ञ) आवश्यक रूप से भरा जाना है। 2- राशनकार्ड में यूनिटों की वृद्धि बाबत बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र/बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति व नवविवाहित महिला हेतु उसके परिवार राशनकार्ड से नाम कम करवाने का प्रमाण पत्र समर्पण प्रमाण पत्र की मूल प्रति। नव विवाहित महिला का नाम भारत में किसी भी राशनकार्ड में अंकित नही हो तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न की जावे।	3 दिवस		
5	जारी राशनकार्ड में नाम घटाना कतिपय यूनिट का समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करना। या मुखिया की मृत्यु होने पर मुखिया के नाम में परिवर्तन या	1- प्रपत्र "ब" आवेदन मय मूल राशन कार्ड भर कर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 5 व 7(च), 7(ज), 7(झ) व 7(ञ) आवश्यक रूप से भरा जाना है। 2- राशनकार्ड में अंकित सदस्य की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण की आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित फोटोप्रति। 3- मुखिया की मृत्यु होने पर मुखिया के नाम को विलोपित करते हुए घर के वरिष्ठ सदस्य के नाम परिवर्धित राशनकार्ड जारी किया जावेगा। आवेदन भी वरिष्ठ सदस्य को ही करना होगा।	3 दिवस		

	राशनकार्ड का विभक्तिकरण	4- तलाक होने की स्थिति में तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति। 5- तलाकशुदा/परित्यक्ता होने की स्थिति में स्त्रियां अपने पति के राशन कार्ड में से नाम हटाने के लिए स्वयं आवेदन कर सकेगी तथा समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगी। किन्तु इस हेतु स्व प्रमणित शपथ पत्र देना होगा। नोट- राशनकार्ड के विभक्तिकरण के लिए भी वांछित यूनिटों के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में करना होगा। बी०पी०एल०/एस०बी०पी०एल०/अन्त्योदय परिवार कार्ड में दर्ज किन्ही सदस्यों (मुखिया के अतिरिक्त) के अलग होने की स्थिति में अन्य अलग हुये सदस्यों को बी०पी०एल०/एस०बी०पी०एल०/अन्त्योदय परिवार कार्ड जारी नहीं किया जायेगा। परिवार कार्ड से कुछ सदस्यों के अलग होने पर ऐसे सदस्यों का राशन कार्ड एपीएल श्रेणी के तहत ही जारी किया जायेगा।			
6	जारी राशनकार्ड की प्रविष्टियों की त्रुटि एवं विशिष्टियां यथा उचित मूल्य दुकान का नाम/गैस कनेक्शन का प्रकार/आयकर का संशोधन/परिवर्धन	1- प्रपत्र "ब" आवेदन मय मूल राशन कार्ड भर कर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 6 व 7 में अंकित शुद्धिकरण से सम्बंधित घोषनाएं आवश्यक रूप से भरा जाना है। 2- नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटोप्रति। 3- उम्र में परिर्वतन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। 4- वांछित त्रुटि एवं विशिष्टी के संशोधन के लिए आवेदक को मूल राशनकार्ड पर त्रुटि एवं विशिष्टी को गोला करके सही विशिष्टी स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित कर ही आवेदन के साथ मूल राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।	3 दिवस		
7	राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में निवास परिवर्तन के कारण राशन कार्ड जमा कराकर समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में	1- आवेदन निर्धारित प्रपत्र "ब" में मय फोटो किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 3, व 7(त्र) आवश्यक रूप से भरा जाना है। **नोट-** अन्यत्र निवास करने की स्थिति में राशनकार्डधारक को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में मूल राशनकार्ड 15 दिवस में जमा कराकर समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	3 दिवस		

प्रशिक्षण व प्रचार-प्रसार - प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न अधिकारियों व कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु तथा प्रचार प्रसार हेतु अलग से आदेश जारी किये जा रहे है।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न : प्रपत्र ब का प्रारूप व समर्पण प्रमाण पत्र का प्रारूप

(सुबोध अग्रवाल) 2/02/15

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:एफ.97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2014

जयपुर, दिनांक:9/2/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वे जिले के समस्त संबंधित अधिकारियों यथा- तहसीलदार/विकास अधिकारी/नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित/निर्देशित करें।
9. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग मुख्यालय।
10. प्रोग्रामर खाद्य विभाग जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड व सम्बंधित को ईमेल करने हेतु।
11. रक्षा पत्रिका।
12. तकनीकी निदेशक, NIC, Jaipur,

(जस्साराम चौधरी)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रपत्र ब

आवेदन संख्या/दिनांक ....

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशनकार्ड में जारी यूनिटो में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन पत्र

1. सामान्य विवरण : '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।

राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)			फोटो आवेदक (मुखिया)
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम			
मुखिया के पिता का नाम		माता का नाम	
मोबाइल नम्बर			
ई- मेल पता			
राशन कार्ड में दर्ज पता	मकान नम्बर/मकान का नाम	मोहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी	
*पंचायत समिति (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	*ग्राम पंचायत: (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	*ग्राम/वार्ड सं : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	आवेदक के हस्ताक्षर
*नगर निगम/नगर पालिका/परिषद: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	*नगर निगम/नगर पालिका/परिषद का वार्ड नम्बर: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	*जिला:	
		पिन नम्बर	

2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित मूल्य दुकान सं...................., नाम दुकानदार.. का था जो विरूपित हो/ गुम/फट गया है। अतः डुप्लीकेट जारी करे। खोये हुए राशन कार्ड की फोटोप्रति/कटा-फटा राशन कार्ड संलग्न है। खोया हुआ राशन कार्ड मिलने पर मै उसका दुरूपयोग नहीं करूंगा। मैंने राशन कार्ड खोने की सूचना भी सम्बंधित उचित मूल्य दुकानदार को दे दी है।

3. मै निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तन हेतु आवेदन करता/करती हूँ कृपया निम्नानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें-

राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में **नया पता** '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।	मकान नम्बर/मकान का नाम	मोहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी
*पंचायत समिति (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	*ग्राम पंचायत: (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	*ग्राम/वार्ड सं : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)
*नगर निगम/नगर पालिका/परिषद: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	*नगर निगम/नगर पालिका/परिषद का वार्ड नम्बर: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	*जिला:
		पिन नम्बर
बिंदु 3 हेतु में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति/कच्ची बस्ती सर्वे युक्त सम्पत्ति/मै किराये के मकान में निवास करता हूँ।		

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

4. मै निम्नांकित नामों को सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र. सं.	नाम*	माता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम यदि विवाहित है तो	लिंग* M/F/Other	जन्म दिनांक *	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी (UID/ आधार) क्रमांक	विकलांग (हां/ना)	विधवा/ परित्यक्ता (हां/ना)
1										
2										
3										
4										

नोट - '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार मे सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

5. मै निम्नांकित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र. सं.	नाम*	लिंग* M/F/Other	मुखिया से संबंध*	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
1					
2					
3					
4					
5					
6					

नोट - '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार मे सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

हस्ताक्षर आवेदक

6. राशनकार्ड की विशिष्टियों की त्रुटियों में परिवर्धन/संशोधन - उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, आयकरदाता सम्बन्धी प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की प्रविष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध में संशोधन करवाने के लिए जारी मूल राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्टि स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जावे तथा मूल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जावे। यदि त्रुटि आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से मिलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

परिवर्धन/संशोधन का संक्षिप्त विवरण-

....

....

....

7. घोषणायें:-

नोट:- घोषणा का जो बिंदु लागू नहीं हो उसे काट देवे।

(क) मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांक ....है। मेरे राशन कार्ड में ""मै आयकर दाता हूँ/नही हूँ" अंकित है जिसके स्थान पर ....लिखा जावे क्यों कि मै आयकर दाता हूँ/नही हूँ।

(ख) मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नं. .... गैस एजेन्सी .... डीबीसी/एसबीसी अंकित है जिसके स्थान पर गैस कनेक्शन नं. .... गैस एजेन्सी .... डीबीसी/एसबीसी अंकित किया जावे या मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है अत: मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बंधित प्रविष्टी हटाई जावे।

(ग) मेरा नाम बीपीएल चयन सूची वर्ष ....क्रमांक .... वार्ड .... में/अन्त्योदय सूची वर्ष .... क्रमांक .... वार्ड ...... में है किन्तु मुझे ....श्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया है अत: राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि मुझे ....श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जावे।

(घ) इस प्रपत्र के बिंदु 4 मे वर्णित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नही है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया गया है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।

(ड.) इस प्रपत्र के बिंदु 3 हेतु मैं जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।

(च) इस प्रपत्र के बिंदु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री ....का नाम विवाह/मृत्यु/तलाक/परित्यक्ता/स्थानान्तरण/अलग निवास/अलग रसोई होने के कारण घटाने के लिए आवेदन किया गया है। श्री .... रिश्ते में मेरे ....(मृतक से सम्बन्ध) है, इनकी मृत्यु के बाद मै ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ, इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अत: इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया के रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।

(छ) इस प्रपत्र के बिंदु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टी पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित विशिष्टी अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन कार्ड में शुद्ध किया जावे।

(ज) मै और मेरा परिवार राशनकार्ड का उपयोग राशन वस्तुये प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नही करेगा।

(झ) मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यो की जांच कभी भी की जा सकती है। गलत सूचना पाये जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

(ञ) इस प्रपत्र के बिंदु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

<u>सत्यापन</u>

इस प्रपत्र के बिंदु 3 हेतु में दिए गए मकान के पते पर श्री...पुत्र श्री...परिवार सहित अवधि...................................से निवास कर रहे है। यह मकान मेरी निजी सम्पत्ति है। (बिंदु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना है)

हस्ताक्षर मकान मालिक

कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही

चैक लिस्ट

क्या आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं, मकान मालिक के हस्ताक्षर एवं फोटो सहित प्रस्तुत किया है? हॉ/नही

संलग्न दस्तावेजो का विवरण:-

1. पूर्व का राशनकार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र। हॉ/नही
2. निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति। हॉ/नही
3. नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र। हॉ/नही
4. बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति। हॉ/नही
5. डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटोप्रति/शपथ पत्र। या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड हॉ/नहीं
6. मूल राशन कार्ड। हॉ/नहीं
7. उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। हॉ/नहीं
8. नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/ परित्यक्ता का स्व प्रमणित शपथ पत्र। हॉ/नहीं
9. नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटोप्रति। हॉ/नहीं
10. स्व प्रमाणित शपथ पत्र। हॉ/नहीं
11. नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र।
12. अन्य.................

संलग्नकों की कुल पेज संख्या.........

हस्ताक्षर लिपिक/कियोस्क धारी

कार्यालय..

<u>राशन कार्ड यूनिट समर्पण/राशन कार्ड निरस्तीकरण प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/सुश्री/श्रीमती.................................. को इस कार्यालय से दिनांक...........को परिवार राशन कार्ड संख्या ....श्रेणी .... पता .... कुल सदस्य संख्या .... का जारी किया गया था| श्री .... के आवेदन पर इस राशनकार्ड की निम्न कुल ....यूनिट इस राशन कार्ड से विलोपित/निरस्त की गयी है-

क. सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	जीवन साथी का नाम यदि विवाहित है तो	लिंग M/F/Other	जन्म दिनांक	मुखिया से संबंध	यूनिक आईडी क्रमांक (UID)	विकलांग	विधवा/ परित्य.
1										
2										
3										
4										

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक................................ को मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी